(7)

न्यायालय श्री पुरूषोत्तम शर्मा, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 22/2011

सरकार जरिये तहसीलदार, फागी, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र श्री रामचन्द्र सिंह, जाति–यादव, निवासी–मण्डावरा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
2. सन्तरा देवी पत्नी श्री अमरसिंह, जाति–यादव, निवासी–मण्डावरा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
3. सुरेश कुमार पुत्र श्री अमरसिंह, जाति–यादव, निवासी–मण्डावरा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
4. कमलेश पत्नी श्री सुरेन्द्रकुमार, जाति–यादव, निवासी–मण्डावरा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपस्थिति :–

1. पेरोकार सरकार।
2. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय दिनांक : 28.06.2019

तहसीलदार, फागी द्वारा निवेदन किया गया है कि खतौनी बन्दोवस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011–2030 में ग्राम मण्डावरा की आराजी खसरा नम्बर 568 रकबा 51 बीघा 07 बिस्वा मकबूजा ठिकाना बिला लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकिन नदी दर्ज है, जिसमें से 03 बिस्वा आराजी उप खण्ड अधिकारी, साम्भर ने आज्ञा दिनांक 12.03.1990 द्वारा अमरसिंह, सन्तरादेवी, सुरेशकुमार व कमलेश यादव हि. बराबर के हक में दिनांक 12.03.1990 को कुएँ हेतु नियमन की है जिसके परिणामस्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2063–2066 में गैर–खातेदारी अमरसिंह,सन्तरादेवी,सुरेशकुमार व कमलेश यादव हिस्सा बराबर के नाम खसरा नम्बर 568 रकबा 03 बिस्वा इन्द्राज दर्ज है। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2011–2030 में दर्ज गैर–मुमकीन नदी आराजी को निजी गैर–खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय

Scanned by CamScanner

(8)

राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। अतः विवादग्रस्त आराजी को सिवायचक बिला लगानी गैर–मुमकीन नदी दर्ज किए जाने के आदेश फरमावें।

विद्वान् पेरोकार सरकार का कथन है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011–2030 में ग्राम मण्डावरा की आराजी खसरा नम्बर 568 रकबा 51 बीघा 07 बिस्वा मकबूजा ठिकाना बिला लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकिन नदी दर्ज है, जिसमें से 03 बिस्वा आराजी उप खण्ड अधिकारी, सांभर ने आज्ञा दिनांक 12.03.1990 द्वारा अमरसिंह, सन्तरादेवी, सुरेशकुमार व कमलेश यादव हिस्सा बराबर के हक में दिनांक 12.03.1990 को कुएँ हेतु नियमन की है जिसके परिणामस्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2011–2030 में गैर–खातेदारी अमरसिंह, सन्तरा देवी, सुरेशकुमार व कमलेश यादव हिस्सा बराबर के नाम इन्द्राज दर्ज है। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2011–2030 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, नाडी, तलाई, तालाब, जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार दिये जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। विवादग्रस्त आराजी में से 3 बिस्वा का नियमन किया गया हैं, नियमों के विपरीत अवैध रूप से नियमन/आवंटित की गई है जबकि विवादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011–2030 में यह आराजी गैर–मुमकिन नदी दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत विवादग्रस्त आराजी आवंटन हेतु वर्जित है और इस धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होगें। आवंटन दिनांक 12.03.1990 को राजस्थान भू–राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुएँ खोदने एवं पम्प लगाने के लिए भूमि का आवंटन) नियम, 1979 के नियम 4 में भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों को आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने का प्रावधान है। इस प्रकार अधिनियम/नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकिन नदी की आराजी को दि0 12.03.1990 को अमरसिंह, सन्तरादेवी, सुरेशकुमार व कमलेश यादव हिस्सा बराबर को नियमन किया गया है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है और ऐसे अवैध नियमन के पश्चात् आवंटी के हक में राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज प्रारंभ से शून्य होने से निरस्त किया जाना न्यायोचित है। रेफरेन्स

Scanned by CamScanner

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध मे समय सीमा बाधित नही है। रेफरेन्स कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011–2030 मे ग्राम मण्डावरा की आराजी खसरा नम्बर 568 रकबा 51 बीघा 07 बिस्वा मकबूजा ठिकाना बिला लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकिन नदी दर्ज है, जिसमें से 03 बिस्वा आराजी उप खण्ड अधिकारी, साम्भर ने आज्ञा दिनांक 12.03.1990 द्वारा अमरसिंह, सन्तरादेवी, सुरेशकुमार व कमलेश यादव हिस्सा बराबर के हक में दिनांक 12.03.1990 को कुएँ हेतु नियमन की है जिसके परिणामस्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2060–2063 में गैर–खातेदारी अमरसिंह, सन्तरादेवी, सुरेशकुमार व कमलेश यादव हिस्सा बराबर के नाम दर्ज है। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2011–2030 में दर्ज गैर–मुमकिन नदी आराजी को निजी गैर–खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। बरवक्त बहस विद्वान् राजकीय अभिभाषक ने विवादग्रस्त आराजी को आवंटन दिनांक 12.03.1990 को राजस्व अभिलेख में गैर–मुमकिन नदी दर्ज होने का कथन किया है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत् 2011–2030 से होती है और इस आराजी का नियमन अमरसिंह,सन्तरादेवी,सुरेशकुमार व कमलेश यादव हिस्सा बराबर को दिनांक 12.03.1990 को किया गया है। विवादग्रस्त आराजी वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2063–2066 में निजी गैर–खातेदारी दर्ज है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार बिला लगानी सिवायचक गैर–मुमकीन नदी की भूमि की निजी गैर–खातेदारी/खातेदारी किसी को नही दी जा सकती किन्तु अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकीन नदी भूमि का नियमन कर गैर–खातेदारी दी गई हैं, जो प्रारम्भ से शून्य हैं और ऐसे प्रारम्भ से शून्य आधारित निर्णय/आज्ञा अथवा अन्य प्रक्रिया के अनुसरण मे एवं इसके पश्चात की गई नामान्तरकरण/अमल दरामद की कार्यवाही स्वतः ही अवैध हो जाती है। नियमानुसार गैर–मुमकिन नदी भूमि का आवंटन/नियमन/खातेदारी नही दी जा सकती इसके बावजूद नियमों के विपरीत गैर–खातेदारी दी गई हैं/ली गई हैं

Scanned by CamScanner

(10)

जो प्रारम्भ से शून्य हैं। शून्य आधारित आज्ञा के परिणामस्वरूप यदि अप्रार्थी अमरसिंह, सन्तरादेवी, सुरेशकुमार व कमलेश यादव हिस्सा बराबर को गैर-खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं और इसके अनुसरण में राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद हुआ हैं तो यह प्रभाव शून्य हैं। शून्य आधारित आदेश के विरूद्ध कभी भी रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जा सकता हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार वगैराह में दिये गये निर्णय की पालना में प्रार्थी तहसीलदार, फागी द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया हैं और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में 15.08.1947 की स्थिति बहाल किये जाने के संबंध में सुलभ दस्तावेजात प्रतियों/साक्ष्यों की प्रतियां प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। जिसके विपरीत अथवा इसके खण्डन में पत्रावली में अन्य कोई सुसंगत दस्तावेजात उपलब्ध नहीं हैं। राजस्थान भू-राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुएँ खोदने एवं पम्प लगाने के लिए भूमि का आवंटन) नियम, 1979 के नियम 4 में भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों को आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने का प्रावधान है। इस प्रकार अधिनियम/नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत गैर-मुमकिन नदी की आराजी को दिनांक 12.03.1990 को अमरसिंह, सन्तरादेवी, सुरेशकुमार व कमलेश यादव हिस्सा बराबर को नियमन किया गया है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। परिणामतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी में से 03 बिस्वा वाके ग्राम-मण्डावरी नियमन दिनांक 12.03.1990 बहक अमरसिंह, सन्तरादेवी, सुरेशकुमार व कमलेश यादव हिस्सा बराबर को निरस्त करने एवं इस नियमन के फलस्वरूप आवंटी के हक में दर्ज किये गये इन्द्राजात एवं निजी गैर-खातेदारी में लगाए जाने की आज्ञा एवं इसके पश्चात् की समस्त कार्यवाही/इन्द्राजों को निरस्त करने तथा वापिस सिवायचक गैर-मुमकीन तलाई दर्ज करने की राय से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित है। पक्षकार को दिनांक 26.08.2019 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया है।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 28.06.2019 को सुनाया गया।

(पुरूषोत्तम शर्मा)
कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

Scanned by CamScanner